

MSTP/DY.No-8

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

Notification

New Delhi, the 10th April, 2015

S.O.------(E). In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the 'Haryana Electricity Regulatory Commission', a Commission constituted under the Haryana Electricity Reform Act, 1997 (Haryana Act No.10 of 1998), in respect of the following specified income arising to that body, namely:-

- (a) grants and loans made by the Government of Haryana;
- (b) fees received under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (c) interest earned on government grants and loans and fees received under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003).

2. The notification shall be subject to the conditions that the Haryana Electricity Regulatory Commission: -

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) it files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub section (4C) of section 139 of the said Act.

This notification shall be applicable for the Financial Years 2012-13 to 2016-17.

(Notification No. 35 /2015 F.No.196/48/2012-ITA.1)



(Deepshikha Sharma)

Director to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

Ms. Rekha
15/4/15

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल, 2015

अधिसूचना

का.आ.....(अ). आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपवाक्य के प्रयोजन के लिए " हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग " जोकि हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 (1998 का हरियाणा अधिनियम सं.10) अंतर्गत गठित एक आयोग है, को उक्त आयोग को होने वाली विशिष्ट आय के बारे में अधिसूचित करती है, यथा:-

- (क) हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान और ऋण;
- (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्राप्त शुल्क;
- (ग) सरकारी अनुदान और ऋण पर तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्राप्त शुल्क पर ब्याज;

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी, यथा:- "हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग"

- (क) किसी भी वाणिज्यिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं होगा;
- (ख) इसके क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्षों में यथावत रहेंगे;
- (ग) उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (छ) के प्रावधानों के तहत अपना आयकर रिटर्न भरा करेगा।

2. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक लागू रहेगी।

[अधिसूचना संख्या35...../2015 फा.सं. 196/48/2012-आ.का.नि-।]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।